रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11052021-226952
CG-DL-E-11052021-226952

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1691] नई दिल्ली, सोमवार, मई 10, 2021/वैशाख 20, 1943
No. 1691] NEW DELHI, MONDAY, MAY 10, 2021/VAISAKHA 20, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2021

का.आ. 1818(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1088 (अ) तारीख 9 मार्च, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के वाशिम जिले में NH161 (नई) के कि.मी. 40.100 से कि.मी. 97.700 (नांदेड-हिंगोली-वाशिम-अकोला सेक्शन) का (बाईपासों सहित) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 13 अप्रैल, 2021" को "दि इंडियन एक्सप्रेस" और "लोकमत" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के वाशिम जिले में NH161 (नई) के कि.मी. 40.100 से कि.मी. 97.700 (नांदेड-हिंगोली-वाशिम-अकोला सेक्शन) का (बाईपासों सहित) के लिए अर्जन की जानीवाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		**जिले का नाम: वाशिम**			
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम**
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: मालेगाव				
	गांव का नाम: मेडशी				
1	133	निजी	एग्रीकल्चर	1.252	भानुदास रावबा तायड़े (133)
2	141	निजी	एग्रीकल्चर	0.294	माणिकराव दगडुजीराव घुगे (141)
3	262	निजी	एग्रीकल्चर	0.299	प्रकाश भीमराव घुगे (262)
			कुल	**1.845**	

[फा. सं. NHAI/NAGPUR/AMRAVATI/LA/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 2021

S.O. 1818(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Number S.O. 1088 (E) Dtd. 9th March 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH161 (New) (including Bypasses) in the stretch of land from Km 40.100 to Km 97.700 (Nanded-Hingoli-Washim-Akola Section) in the district of WASHIM in the state of MAHARASHTRA.

And whereas the substance of the said notification has been published in "The Indian Express" and "Lokmat" both dated 13th April, 2021 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 40.100 to Km 97.700 (Nanded-Hingoli-Washimm-Akola section) of NH-161 (New) (including Bypasses) in the district of WASHIM in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA		**District: WASHIM**			
Sl. No.	**Survey Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area in Hectare**	**Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.**
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Malegaon				
	Village: Medshi				
1	133	Private	Agriculture	1.252	Bhanudas Raavba Tayde 133
2	141	Private	Agriculture	0.294	Manikrao DagdujiRav Ghuge 141
3	262	Private	Agriculture	0.299	Prakash Bhimrao Ghuge 262
			TOTAL	**1.845**	

[F. No NHAI/NAGPUR/AMRAVATI/LA/3D]

RAJESH GUPTA, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.05.11 15:23:13 +05'30'